

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान रेजीडेन्सियल ऐज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)
कमरा संख्या 411, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर। 0141-2226666

क्रमांक: F 2 (B) (95) लेखा/राईस/बजट घोषणा/2016/ 166
आदेश

जयपुर दिनांक 6/5/2022

माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत दिनांक 03 मार्च, 2022 को बिन्दु संख्या 25 की अनुपालना में विभाग के नियंत्रणाधीन राजस्थान रेजीडेन्सियल ऐज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (RREIS) द्वारा संचालित राजकीय आवासीय विद्यालयों अध्ययनरत विद्यार्थियों की मैस भत्ते की राशि 2000 रुपये को बढ़ाकर 2500 रु. प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी किये जाने का आदेश क्रमांक 1821 दिनांक 22.03.2022 द्वारा जारी किया गया है।

उक्तानुसार आवासीय विद्यालयों के मैस भत्ते की बढ़ायी गई राशि को निम्नानुसार मदवार निर्धारित किया जाता है:-

क्र. सं.	सुविधाओं का विवरण (प्रति विद्यार्थी)	वर्तमान में देय प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी	संशोधित देय राशि प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी	प्रति सत्र 10 माह हेतु नियत राशि
1	निर्धारित खाद्य सामग्री एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुएं	1040	1300	13000
2	ईंधन (कूकिंग गैस) आदि	100	145	1450
3	मौसमी सब्जिया व फल	145	180	1800
4	दूध	190	220	2200
5	चिकित्सा व्यय	40	25	250
6	स्टेशनरी	140	150	1500
7	स्कूल यूनिफार्म मय सिलाई, (दो ड्रेसेज), जूते-मौजे, तौलिये एवं गर्म जर्सी आदि	250	300	3000
8	यात्रा व्यय	20	40	400
9	बाल कटाई/छात्राओं हेतु सेनेटरी नेपकिन	25	40	400
10	सामान्य मरम्मत, बिजली, वाईरिंग फिटिंग, रंग रोगन, सफेदी, सेनेटरी मरम्मत, पलंग मरम्मत आदि	50	100	1000
	योग	2000	2500	25000

मद विशेष में बचत रहने की स्थिति में, उस मद की राशि का उपयोग अन्य मदों में मैस समिति की बैठक में निर्णय लेकर किया जा सकेगा। परन्तु किसी भी स्थिति में कुल व्यय राशि प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 2500/- एवं प्रति सत्र 25000/- से अधिक नहीं होगी।

(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
एवं सचिव राईस

क्रमांक: F 2 (B) (95) लेखा/राईस/बजट घोषणा/2016/ 167-182 जयपुर दिनांक 6/5/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग/शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2)/वित्त(बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. जिला कलक्टर.....
8. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन/छात्रवृत्ति एवं छात्रावास/एससीएसपी/सामाजिक सुरक्षा)/संयुक्त निदेशक, देवनारायण योजना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)
11. कोषाधिकारी कोष/उपकोष कार्यालय
12. उप निदेशक (एनालिस्ट कम प्रोग्रामर), मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को सीएमआईएस पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
13. सहायक निदेशक (छात्रावास), मुख्यावास।
14. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
15. प्रधानाचार्य, राजकीय आवासीय विद्यालय समस्त।
16. रक्षित पत्रावली।

(डालचन्द वर्मा)
अतिरिक्त निदेशक, राईस